रिट

रिट (WRITS)

Drishti IAS

रिट के प्रकार	उद्देश्य	जिनके विरुद्ध जारी की जा सकती है	जिनके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है
बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)	अवैध मामले के लिये हिरासत में लिये गए व्यक्ति को छोड़ने का निर्देश देना	A. सार्वजनिक प्राधिकरणों B. निजी व्यक्तियों	A. निवारक निरोध B. न्यायालय/विधायिका की अवमानना से संबंधित कार्रवाई C. न्यायालय के न्यायायिक क्षेत्र के बाहर हिरासत
परमादेश (Mandamus)	एक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना कर्त्तव्य करने के लिये निर्देशित करना	A. सार्वजनिक निकाय B. निगम C. एक अवर न्यायालय D. ट्रिब्यूनल E. सरकार	A. निजी व्यक्ति/ निकाय B. जब विवेकानुसार कर्तव्य हो C. संविदात्मक दायित्व D. राष्ट्रपति, राज्यपाल E. CJI, HC की न्यायिक क्षमता में कार्य कर रहे CJ
अधिकार पृच्छा (Qua Warranto)	अवैध तरीके से ग्रहण किये गए पद को रिक्त करने के लिये किसी व्यक्ति को निर्देशित करना	केवल न्यायिक/अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध	प्रशासनिक, विधायी और निजी निकाय तथा व्यक्ति
प्रतिषेध (Prohibition)	अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले पर कार्रवाई करने से रोकना	न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध	विधायी और निजी निकाय तथा व्यक्ति
उत्प्रेषण (Certiorari)	एक उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कार्रवाई से हटा देता है और इसे अपने समक्ष ले आता है	केवल एक वैधानिक/संवैधानिक सार्वजनिक कार्यालय	A. मंत्रालयी कार्यालय B. निजी कार्यालय

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 32:
  - SC रिट जारी कर सकता है
  - संसद किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है (हालाँकि, अब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है)

  अनुच्छेद 32 के तहत, SC को मौलिक अधिकारों के रक्षक और गारंटीकर्ता के रूप में स्थापित किया गया है
- अनुच्छेद 226:
  - Hcs रिट जारी कर सकते हैं

  1950 से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के HCs के पास रिट जारी करने की शक्ति थी

रिट क्षेत्राधिकार

विशेषताएँ	उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय
रिट जारी करने का उद्देश्य	केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिये	कानूनी के साथ-साथ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिये
किसी व्यक्ति/सरकार के विरुद्ध रिट जारी की जा सकती है	भारत के पूरे क्षेत्र में कहीं भी	केवल अपने क्षेत्रीय अधिकार के भीतर स्थित क्षेत्र में या यदि कार्रवाई उसके क्षेत्रीय अधिकार वाले क्षेत्र में घटित होती है
रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से मनाही का अधिकार	क्योंकि अनुच्छेद 32 स्वयं एक FR है इसलिये मनाही का विकल्प नहीं है	अनुच्छेद 226 के तहत उपचार के रूप में मनाही विवेकाधीन है

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/writs-1